POLTICAL SCIENCE Dep.
BA-2 (Sub.)

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करने अथवा न्याय प्रदान करने में दबाव महसूस नहीं करते। न्यायपालिका में योग्य, अनुभवी एवं प्रशिक्षित न्यायाधीश चुनकर आते हैं। न्यायाधीश संविधान के मूल आदर्शों की रक्षा, कानून की व्याख्या, नागरिक अधिकारों की रक्षा आदि कार्य निर्भिक होकर करते हैं। न्यायपालिका के कार्यों में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। न्यायाधीशों को एक निश्चित वेतन दिया जाता है ताकि वे निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके।

हैमिल्टन के अनुसार "किसी भी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों न हो वह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायप्रणाली के बिना निष्प्राण है।"

Scanned with CamScanner